بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

Office of The Sadr Majlis Ansarullah Bharat

دفتر صدر مجلس انصار اللہ بھارت

Ph. +91-01872-220186, Fax, +91-01872-224186, Mob, +91-9815494687, E-Mail: ansarullahbharat@gmail.com

सारांश खुत्बः जुम्अः सैय्यदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन ख़लीफ़तुल मसीहिल अलख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ दिनांक **11.08.2017** मस्जिद बैतुल फ़तूह,मॉर्डन लंदन

हम अहमदी एक शांत समाज के विषय में जब दुनिया को कहते हैं तो हमें भी अपने प्रत्येक व्यवहार में समाज में शांति स्थापना का प्रयास करना चाहिए।

तशह्हुद तअव्वुज़ तथा सूरः फ़ातिहः की तिलावत के पश्चात हुज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने फ़रमाया-

प्रत्येक अहमदी जो अपने आपको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैअत में शामिल करता है, रूहानी आचरण सम्बंधी, विवेक तथा आस्था में प्रगति के लिए संकल्प करता है तथा इस दौर में जब अल्लाह तआला ने हमें एम टी ए का वरदान दिया हुआ है और जमाअती प्रोग्राम, जलसे, सम्बोधन तथा सबसे बढ़कर विश्व व्यापी बैअत में तो एम टी ए और इन्टर नैट के माध्यम से लाखों अहमदी शामिल होते हैं इस लिए प्रत्येक वह अहमदी जो पैदायशी अहमदी है अथवा स्वयं बैअत करके अहमदियत में शामिल हुआ है, यह नहीं कह सकता कि हमें तो बैअत के एहद (संकल्प) का पता नहीं है।

अतः यदि आवश्यकता है तो इस बात की कि हम बैअत करने के पश्चात इसकी रूप रेखा जानने का प्रयास करें तथा बैअत के संकल्प को सामने रखें यदि हम बैअत की शर्तों में वर्णित आचरण में सुधार के अनुबन्धों को ही सम्मुख रखें तो हमारे शिष्टाचार के स्तर, सामाजिक सम्बंध, कारोबारी मामले तथा दैनिक लेन देन मामले, घरेलू तथा पारिवारिक व्यवहार, इन सब में एक विशेष प्रगति एवं बुलन्दी पैदा हो सकती है परन्तु हममें से अनेक ऐसे हैं जो इन स्तरों से भी बड़े दूर हैं जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हममें देखना चाहते हैं। इस विषय पर जिन बातों की ओर आपने बैअत की शर्तों का ध्यान दिलाया है उनमें से कुछ एक ये हैं, उदारहणतः-

कि झूठ नहीं बोलना, अत्याचार नहीं करना, ख़्यानत (दुरुपयोग) से बचना है। मानिसक आवृत्तियों में नहीं आना, दुनिया को साधारणतः तथा मुसलमानों को विशेषतः अपने मानसिक जोशों के कारण हाथ से अथवा ज़बान से कष्ट नहीं देना। अहंकार नहीं करना, विनम्रता धारण करनी है। प्रसन्न चित रहकर सदैव जीवन यापन करना है। सामान्यतः मानव जाति को लाभ पहुंचाने का प्रयास करना है।

हम यदि इन बातों की ओर ध्यान दें तो जैसा कि मैंने कहा हम अपने आचरण के स्तर बढ़ा सकते हैं किन्तु यदि हम निरीक्षण करें तो हमारे भीतर भी एक ध्यान देने योग्य संख्या ऐसी है जो बैअत के एहद के बावजूद इन बातों के अनुसार कार्य नहीं करती। जब तक हम व्यक्तिगत रूप से ऐसी प्रस्थिति में नहीं पड़ते जहां हमें अपने अधिकार बलिदान करके अथवा अपने आपको कठिनाई में डालकर अपने उच्च शिष्टाचार को धारण करना हो, हम बड़े ज़ोर शोर से यह कहते हैं कि निःसन्देह इन उच्च शिष्टाचारों को हमने धारण करना चाहिए और जो यह नहीं करता वह बड़ा अत्याचार करता है किन्तु यदि सीधे हम प्रभावित हो रहे हों तो हममें से अधिकांश संख्या इन व्यवहारों का भूल जाती है। मैंने देखा है कि क़ज़ा (जमाअत की न्यायिक प्रक्रिया) के निर्णय के जब कुछ मामले मेरे पास आते हैं तो झूठ और सच को साबित करने के बजाए, अधिकार लेने के बजाए, हठ धर्मी और ज़िद

की ऐसी अभिव्यक्ति होती है कि आश्चर्य होता है। अतः अहमदी वकीलों को भी चाहिए तथा पक्षकारों को भी कि वे अपने बैअत के एहद तथा अल्लाह तआला के भय को अपने स्वार्थ पर प्राथमिकता दें। ऐसे समय में एक मोमिन का काम है कि झगड़ों को लम्बा खींचने के बजाए, अपनी हठ पर अड़ने के बजाए अल्लाह तआला की प्रसन्नता के लिए अपने भीतर विनम्रता पैदा करके जमाअती निज़ाम अथवा क़ज़ा (जमाअत की न्यायिक प्रक्रिया) में अपने मामले लाएँ और कोशिश यह हो कि हम आपस में भाई भाई हैं हमने इन कुधारणाओं अथवा उचित और अनुचित शिकायतों को दूर करके आपस में प्यार और मुहब्बत से जीवन व्यतीत करना है।

परन्तु यदि किसी के ऊपर दायित्व बनता है तथा जिसका अधिकार बनता है दोनों हट्ठी प्रकृति वाले हों तो फिर चाहे जमाअती निज़ाम है या क़ज़ा है अथवा देश का न्यायालय भी है, ये सारे जैसे भी न्याय पर आधारित निर्णय करें कभी भी मामला अंजाम को नहीं पहुंचता तथा जिसके ऊपर दायित्व डाला जाता है कई बार वह हक़ मारा जाता है और अधिकार नहीं देता अथवा निर्णय को नहीं मानता अथवा फिर मुझे लिख देते हैं कि हम पर बड़ा जुल्म हुआ है आप स्वयं इस मामले को देखें तथा ये शिकायतें कभी समाप्त नहीं होतीं।

अतः हमने यदि झगड़ों को सुन्दर रंग में निपटाना है तो हठों को छोड़ने की आवश्यकता है बल्कि कई बार झगड़ों को समाप्त करने के लिए हक़ यदि बनता भी है तो इस हक़ के लेने में दूसरे पक्ष को सुविधा देने की आवश्यकता होती है और कई बार एक सीमा तक हक़ छोड़ना भी पड़ जाता है। इस विषय में अल्लाह तआला हमें क्या निर्देश देता है। अल्लाह तआला फ़रमाता है कि وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ और यदि कोई तंग हाल होकर आए तो सुविधा होने तक उसे समय दिया जाना चाहिए और यदि तुम अपने ऋण क्षमा कर दो तो यह बड़ा अच्छा है यदि तुम ज्ञान रखते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम पर भी ऐसे हालात आ सकते हैं जब मजबूरियाँ हों तथा फिर सबसे बढ़कर यह कि अल्लाह तआला हमें हमारे अनेक मामलों में छूट देता है। यदि अल्लाह तआला जो सर्वशक्तिमान है हमें हमारे मामलों में पकड़ने लग जाए तो हमारा कोई ठिकाना न रहे। अतः आवश्यक है कि हम एक दूसरे के मामले में नर्मी और सुविधा वाला व्यवहार करें। यह एक मूल निर्देश है दैनिक मामलों में भी, व्यव्सायिक मामलों में भी, ऋणों के लेन देन के मामलों में भी ये बातें सदैव याद रखनी चाहिएँ। आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मोमिनों को बार बार ध्यान दिलाया है कि तुम दुनिया में रहम और नरमी से काम लो तो आसमान पर ख़ुदा तआला भी तुमसे रहम का सलूक करेगा अन्यथा हमें हर समय याद रखना चाहिए कि हमारा भी एक दिन हिसाब होगा यदि अल्लाह तआला केवल अधिकारों के अनुसार निर्णय करने लगे तो क्षमा प्राप्त होना बड़ा कठिन हो जाए। अतः अल्लाह तआला की दया तथा क्षमाशीलता को ग्रहण करने के लिए हमें दुनिया में अपने मामलों में नरमी और रहम का व्यवहार एक दूसरे के साथ करना चाहिए, न कि केवल कठोरता और पकड़ तथा केवल अपने अधिकार की चिंता हो।

यदि हम क़ुर्आन-ए-करीम के इस स्वर्णीय निर्देश को याद रखें तथा आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपदेश को सम्मुख रखें तो एक शांति पूर्ण समाज की स्थापना हो। व्याकुलताएँ फिर न फैलें, कभी रंजिशें लम्बी न चलती चली जाएँ। न्याय करने वाली संस्थाओं की भी हानि न हो, वे इन झगड़ों का निवारण करने के बजाए किसी अच्छे कार्य की योजना बना सकते हैं। मेरा समय भी इन व्यर्थ की बातों में नष्ट होने से बच जाए, मैं कई बार मामलों को अवलोकन करने के बाद पक्षकारों को जवाब देता हूँ परन्तु यदि उनकी इच्छानुसार जवाब नहीं होता तो फिर भी वे अपनी बात पर, हठ पर जमे रहते हैं, अड़े रहते हैं कि नहीं हम ही ठीक हैं और यही ज़िद होती है कि निर्णय भी हमारे अनुसार हो तथा सुविधा भी हमने कोई नहीं देनी दूसरे पक्ष को। मेरे स्पष्ट रूप में लिखने के बावजूद कई बार बड़ी क्रूरता से तीसरे चौथे महीने पत्र भेज देते हैं कि हमने अपने मामले के बारे में लिखा था और हम हक़ पर हैं इस बार निर्णय को पुनः देखा जाए तथा हमें हमारा अधिकार दिलवाया जाए।

हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- यदि एक पक्ष के विचार में उसका अधिकार बनता है परन्तु निर्णय उसके विरुद्ध हो जाता है तो इस पर क़ज़ा अथवा क़ाज़ी को आरोपित नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को यह आरोप लगाने की आदत भी पड़ जाती है। यदि

किसी निर्णय में कोई बात अस्पष्ट हो अथवा दूसरे पक्ष के विचारानुसार उसमें कोई बात अस्पष्ट है तो पक्षकार के निवेदन पर कई बार मैं भी फ़ाईल मंगवाकर देख लेता हूँ परन्तु अधिकांश निर्णय सही ही होते हैं तथा केवल कुधारणाओं के कारण सन्देह दिलों में पैदा किए जाते हैं। अतः कुधारणाओं से बचना चाहिए, कुधारणा एक अन्य बुराई का रास्ता खोल देती है फिर। क़ज़ा के मामले सीधे लेन देन वाले हों, व्यवसायिक हों अथवा पारिवारिक हों, प्रत्येक मामले में सीधे अथवा किसी अन्य माध्यम से लेन देन का मामला बन जाता है। कहीं मेहर के अधिकार की अदायगी है, कहीं सामान की अदायगी है पति पत्नि के झगड़ों में। तो इस प्रकार आर्थिक मामले हर झगड़े में किसी न किसी माध्यम से involve हो जाते हैं और सुविधा देने वाला नियम जो है कि सुविधा दी जाए यह हर मामले में किसी न किसी सीमा तक अवश्य चलता है। पारिवारिक मामले में भी नक़द लेन देन मांग, लेन देन के मामले में भी नक़द धन राशि की मांग अधिकांशतः होती है। पारिवारिक मामले में उदाहरणतः मेहर के हक़ की अदायगी है यह भी निःसन्देह एक ऋण है जिसकी अदायगी करना पति का दायित्व है। इसी प्रकार यदि सीधे लेन देन के मामले हैं, यदि क़ज़ा परिस्थितियों को देखकर क़िस्तें निश्चित कर दे तो इस पर दूसरे पक्ष को आपत्ति हो जाती है। हम अहमदी एक शांत समाज के विषय में जब दुनिया को कहते हैं तो हमें भी अपने प्रत्येक व्यवहार में समाज में शांति स्थापना का प्रयास करना चाहिए।

हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- मोमिनों को एक दूसरे का हक़ अदा करने में सतर्कता दिखानी चाहिए। अनेक मामले हैं ऐसे भी कि हक़ लेने वाले के व्यवहार को हम सुविधा जनक कर भी लें तो हक़ देने वाले का व्यवहार मामला आगे नहीं बढ़ने देता तथा फिर यह भी शिकायत होती है कि हमारे साथ नर्मी नहीं की गई। आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उपदेश से कि सुन्दर समाज की स्थापना के लिए कैसी बातें होनी चाहिएँ, कुछ उपदेश पेश करता हूँ इस संदर्भ में। आप एक अवसर पर आपस के मामले में नरमी पैदा करने वाले को दुआ देते हुए फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला सुविधा देने वाले आदमी पर रहम फ़रमाए जब वह क्रय विक्रय करता है तथा जब वह ऋण की वापसी के लिए कहता है। फिर आपने सुविधा देने वालों को ख़ुशख़बरी देते हुए तथा अन्य लोगों को प्रेरणा देते हुए उपदेश फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने एक व्यक्ति को जन्नत में दाख़िल किया जो ख़रीद के समय तथा बेचते समय और क़र्ज़ देते समय तथा क़र्ज़ वापस लेते समय सुविधा दिया करता था। फिर एक रिवायत में आता है, आपने फ़रमाया कि जिस व्यक्ति ने अर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को ऋण की अदायगी में सुविधा दी अथवा माफ़ कर दिया तो क़्यामत के दिन जब अल्लाह तआला की छाया के अतिरिक्त कोई छाया नहीं होगी तो उसको अल्लाह तआला अपने सिंहासन के नीचे छाया प्रदान करेगा।

फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि एक व्यापारी लोगों को ऋण दिया करता था यदि वह किसी आर्थिक दुर्बल व्यक्ति को देखता तो अपने सेवकों से कहता कि इसको अनदेखा करो सम्भवतः अल्लाह तआला हमारे व्यवहारों को भी अनदेखा करे। आप फ़रमाते हैं कि अतः उसके इस कर्म के कारण अल्लाह तआला ने उसके मामलों को अनदेखा कर दिया। अतः जिनमें सामर्थ्य है उनको चाहिए जितना सम्भव हो सके सुविधा प्रदान करें बजाए इसके कि लड़ाई झगड़ों तथा अदालतों में व्यर्थ में समय नष्ट करें तथा रक़म ख़र्च करें। परन्तु इस्लाम केवल यही नहीं कहता कि ऋण देने वाले तथा अधिकार लेने वाले ही ये सुविधाएँ दें। इस्लाम एक ऐसा समाज स्थापित करता है तथा प्रत्येक पक्ष को उसके कर्त्तव्य की ओर ध्यान दिलाता है जिससे दिलों की घृणाएं दूर हों और अमन भी क़ायम हो। इस लिए जिनके ज़िम्मे हक़ की अदायगी है उन्हें भी सतर्क करता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैअत की शर्तों में से एक यह भी शर्त है कि फ़साद से बचने का प्रयास करुंगा। अतः आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में भी हमें निर्देश प्रदान किए हैं। एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहिवसल्लम ने फ़रमाया कि धनवान व्यक्ति का ऋण की अदायगी में टाल मटोल करना जुल्म है। यदि तुममें से किसी को टाल मटोल करने वाले का पीछा करने के लिए कहा जाए तो चाहिए कि उस टाल मटोल करने वाले का पीछा करे अर्थात फिर मज़बूर करके उससे दूसरों का हक़ दिलवाय जाए, ऋण अदा कराया जाए। यहाँ कोई नरमी नहीं, किसी सुविधा की कोई आवश्यकता नहीं, क्यूँकि उसको सामर्थ्य प्राप्त है। फिर आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्थान पर फ़रमाया कि क़र्ज़ अदा करने वाले

का टाल मटोल करना उसके मान सम्मान कर हानि करने को हलाल घोषित करता है। अतः जमाअत के निज़ाम का कर्त्तव्य है कि ऐसे अधिकारों के हनन करने वालों को दंड दे यदि वे सहयोग नहीं करते। अतः जब क़ज़ा के निर्णय के अनुसार सहयोग न करने वालों तथा हक़ मारने वालों को सज़ा मिलती है तो फिर उन्हें शोर नहीं मचाना चाहिए कि हमसे नर्मी का सलूक नहीं किया गया। अल्लाह के रसूल ने उसे दंड दिए जाने का अधिकार जमाअत के निज़ाम को दिया है, देश का क़ानून भी ऐसे लोगों को दंड देता है। फिर एक बड़ा भय और डरावा दिए जाने वाला उपदेश है आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जिस व्यक्ति ने वापस करने की नीयत से लोगों से माल लिया अथवा ऋण लिया, अल्लाह तआला उसकी ओर से अदायगी करा देगा और जो व्यक्ति माल खाने तथा पैसा मारने की नीयत से माल लेगा तो अल्लाह तआला उसे नष्ट कर देगा। अतः यदि नीयत नेक हो तो अल्लाह तआला साधन पैदा कर देता है अथवा ऋण देने वाले के दिल में नरमी पैदा कर देता है परन्तु यदि नीयत ही नेक नहीं है तो फिर अल्लाह तआला भी उसे दंड देता है। आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सामान्यतः ऐसे व्यक्ति का जनाज़ा नहीं पढ़ते थे जिसके ज़िम्मे क़र्ज़ हो तथा उसकी सम्पत्ति और उपस्थित धन राशि के द्वारा वह ऋण अदा न हो सकता हो। आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऋण से बचने की दुआ भी किया करते थे बल्कि क़र्ज़ और कुफ्र को आपने मिलाया है। अतः एक रिवायत में आता है, सहाबी कहते हैं कि मैंने आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फ़रमाते सुना कि मैं कुफ्र और क़र्ज़ से अल्लाह की शरण मांगता हूँ। एक व्यक्ति ने निवेदन किया कि या रसूलुल्लाह क़र्ज़ का मामला कुफ्र के समान किया जाएगा, इस पर आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया- हाँ। अतः यह कारण है कि पनाह (शरण) मांगनी चाहिए और सीधे क़र्ज़ लेने वाले भी यथासम्भव ऋण लेने से बचें, उनको बचना चाहिए और यदि ले लिया है तो फिर अदायगी की भी चिंता करनी चाहिए। अतः जमाअत के लोगों को इस ओर बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। क़र्ज़ों की अदायगी के बारे में हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह अव्वल रज़ी. ने एक युक्ति बताई है, ऋण लेने वाला यदि इसके अनुसार काम करे तो अनेक लोगों ने लिखा है क़र्ज़ों के बारे में तो ये उसके अनुसार करके देखें। आपने फ़रमाया कि एक तो इस्तिग़फ़ार अत्यधिक किया कर दूसरे यह कि अनावश्यक व्यय छोड़ दो। अधिकतर क़र्ज़े लोग इस लिए लेते हैं कि अनावश्यक ख़र्चे कर रहे होते हैं, इच्छाएँ बढ़ा रहे होते हैं और तीसरे आपने फ़रमाया कि यदि एक पैसा भी मिले तो क़र्ज़ देने वाले व्यक्ति को अदा कर दो। कुछ लोग शौक़ में ऋण ले लेते हैं, यह अनावश्यक है। यदि एक बार ऋण ले ले इंसान तो फिर ऋणों में दबता चला जाता है। अतः इन अनावश्यक इच्छाओं से बचना चाहिए। इसी प्रकार अनेक लोगों ने व्यापार करने शुरु किए, कोई अनुभव नहीं है, नौजवान हैं और व्यापार के नाम पर लोगों से रक़में ले लीं। अनुभव न होने के कारण सारा कारोबार नष्ट हो गया, स्वयं भी विवश हो गए और लोगों के पैसे भी ले डूबे तो ऐसे लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए तथा देने वालों को भी बजाए इसके कि बाद में शिकायतें उत्पन्न हों और मुक़दमे करें पहले ही सोच समझकर क़र्ज़ देने चाहिएँ। अतः इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए ताकि एक शांत समाज हमारे अन्दर सदैव स्थापित रहे।

अल्लाह तआला हमें अपने जीवन में एक वास्तविक मोमिनों वाला रंग पैदा करने का सामर्थ्य प्रदान करे तथा एक शांति पूर्ण समाज हम स्थापित करने वाले हों और जो उच्च शिष्टाचार हैं, उच्च स्तर हैं आचरण के जिनकी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमसे आशा की है, जिनका वर्णन क़ुर्आन-ए-करीम में भी है और जिन पर आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ध्यान दिलाया, उनको अपनाने वाले हों।

TOLL FREE NO: 180030102131